

मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार]

प्रेषक,

दशरथ राम

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सेवा में,

अध्यक्ष

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली-110092

विषय : डी0 ए0 भी0 पब्लिक स्कूल, दरानंद नगर, महेशखुंट, खगड़िया को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत।

पटना, दिनांक 20/11/11

महाराज,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिभूचना सख्या-238 दिनांक-04.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा डी0 ए0 भी0 पब्लिक स्कूल, दरानंद नगर, महेशखुंट, खगड़िया को सी0 बी0 एल0 ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है :-

1. यह विद्यालय दरानंद ऐंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एवं प्रबंधन समिति, नई दिल्ली के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रमुख नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/व्यास कं. फेन्मार्इजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को 2.46 एकड़ भूमि उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपकरण पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप है।
4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाधार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय में 23 शिक्षक हैं। सी0 बी0 एल0 ई0, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है।
5. विद्यालय में किन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्को, वार्षिक लेखा अर्शक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रसारित सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी0 बी0 एल0 ई0, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिभूचना सख्या-238, दिनांक 04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार है।

अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

(i) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन प्लेस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का नि. शुल्क किया जायेगा तथा उनसे दूसरेन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय 2,00,000/- रूपया प्रतिवर्ष कम होगा को रखा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के०जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने-वाले बच्चों का विद्यालय से आवस की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

6. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मानदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. रास ही बोर्ड का यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक कर्त्तनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बन्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक 16.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने सक्ती आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय विहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर सी० ए० भी० पब्लिक स्कूल, दयानंद नगर, महेशखूट, खगड़िया को सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दी जाती है।

अनुलग्नक :- जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासराजान

50/-

(दशरथ राम)

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

क्रमांक 1087 दिनांक 30/11/11

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया को उनके पत्रांक 1316 दिनांक 30.09.2011 को प्रस्ता में सूचनार्थ एवं आचर्यक कार्यार्थ प्रेषित।

क्रमांक 1082 दिनांक 20/11/11 विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

प्रतिलिपि : सूचनार्थ, सी० ए० भी० पब्लिक स्कूल, दयानंद नगर, महेशखूट, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आचर्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/11/11